



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- CHG/RAP/LST-37/RPR

दिनांक -

02/08/2019

प्रेषिति श्री बिलेन्द्र झा, नामित मालिक,
- सर्वश्री अंबुजा सीमेंट लिमिटेड,
पोस्ट-रावण, तहसील- बलोदा बाजार,
जिला-बलोदा बाजार(छ.ग.)-493331

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाजार जिले मे स्थित आपकी रावण चूना पत्थर खदान 420.953
हे. मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमो के उलंघन के संबंध मे-

महोद

य

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 26.07.2019 by undersigned accompanied by Shri Nitesh Raghuwansi, GM (Mines), Shri Bhavin Shutar, Manager (Mine) & Shri Digendra Singh Solanki, Mining Geologist.

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan/Modified Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no. राय/ चूप /खयो-135/नाग/2015/13-रायपुर dated 04.08.2016 and following deviation was observed during inspection 1. The mining operation is proposed in 2 pits North pit and south pit in systematic manner where the benches are proposed parallel with required bench width but as per actual field condition it was observed that the benches are not moved as per proposal and bench width is less than proposal. In north pit the top bench is proposed nearer to pillar no. L31 but in actual field position it was not nearer to the proposal.. 2. The top soil, reject and OB dumping is proposed in designated area but during mine visit it was observed that OB is mixed with limestone. 3. The OB dump in North pit is extending outside lease area.
37(1)	The existing protective measures taken around waste dump are insufficient and it has been found that the waste material was escaping and washing away from the dumps and was contaminating the nearby area and extending outside lease boundary and no retaining wall constructed. A proper protective measure should be taken to prevent the escape of the material from the existing waste dumps.

2 इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमो का उलंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उलंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत

(क) खान की सारी खनन संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है 1

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है 1

- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे 1

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

Not in original copy:

- 1 श्री नितेश रघुवंशी(Head Mines), सर्वश्री अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, पोस्ट-रावण, तहसील- बलोदा बाजार,
जिला-बलोदा बाजार(छ.ग.)-493331

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर